तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5910/2006/करौली सरकार बनाम रामप्रसाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री राजेश सिंह, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री शांतिप्रकाश ओझा, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **निर्णय** **दिनांकः** 7–5–2026 यह रेफरेंस राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, करौली ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 20-6-2006 द्वारा मण्डल को प्रेषित किया है। 2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, मण्डरायल ने जिला कलेक्टर, करौली के समक्ष रेफरेंस प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बुगडार तहसील मण्डरायल स्थित आराजी खसरा नंबर 83 रकबा 0.06, खसरा नंबर 118 रकबा 0.14 संवत् 2015 एवं इसके पश्चात् गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। उक्त खसरा नंबर को जरिये आवंटन रामप्रसाद पिता मु0 रामसुख/भैरो पुत्र लाला जाति मीना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 के अनुसार खसरा नंबर 83 एवं खसरा नंबर 118 पर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज चारागाह, झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। जनहित याचिका संख्या डी. बी. सिविल 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2-8-2004 की अनुपालना में उक्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 15 अगस्त 1947 की स्थिति रेकार्ड अनुसार बहाल की जानी है। अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5910/2006/करौली सरकार बनाम रामप्रसाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2006 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। 3. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नाले की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जावें। 4. हमने उप राजकीय अभिभाषक के तर्को पर गौर किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम बुगडार तहसील मण्डरायल स्थित आराजी खसरा नंबर 83 रकबा 0.06, खसरा नंबर 118 रकबा 0.14 संवत् 2015 एवं इसके पश्चात् गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। उक्त खसरा नंबर को जरिये आवंटन रामप्रसाद पिता मु0 रामसुख/भैरो पुत्र लाला जाति मीना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 के अनुसार खसरा नंबर 83 एवं खसरा नंबर 118 पर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है, जो जलप्रवाह के काम आती है। ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(ii) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/ खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है - 16 **Land on which khatedari rights shall not accrue – Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accure in-** **(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank.**	

उक्त प्रावधानों के विपरीत भूमि किस्म नाला की भूमि बिला लगानी दर्ज कर जरिए आवंटन/नियमन अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, वह विधिसम्मत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयों व निर्देशों में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है।

चूँकि यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजियात भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (i) निम्न प्रकार है -

" 4 Land not available for allotment under these rules- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purpose under these rules, namely-

(i) Land mentioned in the Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नदी/नाला/तालाब की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार चारागाह, नाला, नदी, तालाब की भूमि न तो आवंटन योग्य है और न ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य में पारित आदेश दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5910/2006/करौली सरकार बनाम रामप्रसाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28-1-2011 और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 11153/2011 सुमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-5-2012 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन निर्णय दिनांक 2/8/2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया हैः- **"All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.** **----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "** इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पीटीशन सं0 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 29-5-2012 के निर्णय के अंतिम पैरा संख्या 2, 3 व 11 में यह अभिमत निर्धारित किया है कि - **"2. Instructions be issued restraining allotment of land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, river, pond etc. Infringement of instructions should be viewed seriously with follow-up action against the defaulting officers and the beneficiaries so that tendency of illegal allotment of land may be**	

stopped at all levels.

3. Action may be taken for cancellation of allotments made in violation of section 16 of the Act of 1955 and other Rules and Regulations. Presently, details of the references sent to the Board of Revenue in regard to Ramgarh dam catchment area have been furnished to this court which are more than 400 by now. Similar drive for making reference to the Board of Revenue in regard to catchment areas of other water reservoirs in the State of Rajasthan should be taken up so that with the cancellation of illegal allotments followed by removal of encroachments, water may flow to reservoirs like river, dam, nala, pond, Johar etc without obstruction.

11. The Revenue Department should maintain the position of the land belonging to water reservoirs nala, pond, river, Johar, dam etc and other tributaries as was obtaining in the year 1955 with the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. The excuse regarding non-availability of revenue record was taken by the government but it is found to be without substance as they themselves have taken action for cancellation of allotments in Ramgarh dam based on old revenue record, hence, excuse above would be viewed seriously, more so when government is under an obligation to maintain revenue record since inception."

यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में इस रेफरेंस प्रकरण का निर्णय करना उचित समझता है। इस प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला थी तथा विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5910/2006/करौली सरकार बनाम रामप्रसाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रभाव से ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजों की समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी है। 6. उक्त विवेचन के परिणामस्वरुप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा बुगडार तहसील मण्डरायल के आराजी खसरा नंबर 83 रकबा 0.06, खसरा नंबर 118 रकबा 0.14 भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला का अप्रार्थीगण के नाम किये गये इन्द्राज को निरस्त किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत समस्त नामांतरकरण भी निरस्त किये जाते हैं। विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश सिंह)** **सदस्य**	